

प्रति
यल होने के

36/2008

तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही इनिशिलस जज

2/12/22

पक्षकार/पक्षकारान को अधिवक्ता

पीताम्बर अधिकारी की विधि में भ्रमण
अवकाश पर गये हुए हैं। अतः प्रत्येक
वर्ष का प्रत्येक दिनांक 13/12/22 को
प्रस्तुत करें।

13/12/22

चकुलाय उप। पत्रावली से संबंधित मूल
काद द्वारा 10 शीपीकी से कायित होने
से स्वार्जित हो चुका है अतः मूल काद
के अभाव में प्रार्थना पत्र का मांगिय
क्षेप नहीं रहने से स्वार्जित किया जाता है
मिसल नम्बर से कद होकर राखिए
दृष्टर रहें।

~~के.प्र.
अधिवक्ता
(प्र.प्र.जी) जायल~~